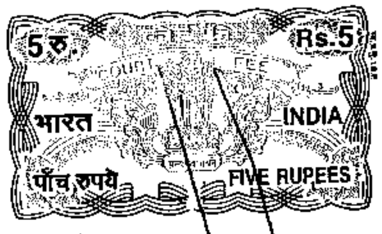

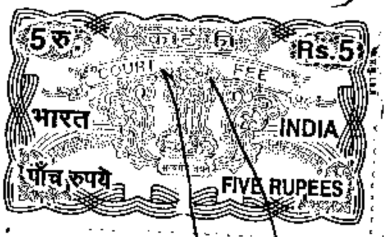

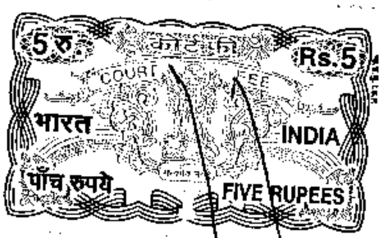

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण कं. /2010/ रिव्यू

Boy 271-III/10

1— देव नारायण पुत्र बलजीत

2— घोटई तनय बलजीत

निवासीगण ग्राम पचखेरा तहसील सिंगरौली

जिला सीधी (म.प्र.)

.......आवेदकगण

प्रदीप श्रीवास्तव एडवोकेट

Shrivastav

विरूद्ध

1— रामलखन पुत्र श्री छोटक लोहार

निवासी ग्राम पचखेरा तहसील सिंगरौली

जिला सीधी (म.प्र.)

2— रामवदन पुत्र लक्षनधारी विश्वकर्ता

निवासी ग्राम पचखेरा तहसील सिंगरौली

जिला सीध (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

रिव्यू प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 51 म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश डा. राजेश राजोरा सदस्य के न्यायालीन प्रकरण कं. 2038—II/05 रामलखन विरूद्ध रामवदन आदि आदेश दिनांक 27.11.2009

माननीय महोदय,

आवेदकगण का रिव्यू प्रार्थना पर निम्न प्रकार प्रस्तुत है :—'

1— यह कि, आवेदकगण एवं अनावेदक कं. 2 ने तहसीलदार प्रकरण कमांक 97/अ—6/64—65 में पारित आदेश दिनांक 19.5.65 के विरूद्ध प्रथम अपील एस.डी.ओ. को प्रस्तुत की थी बाद सुनवाई दिनांक 30.12.2004 को स्वीकार हुई थी जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील अनावेदक कमांक 1 ने अपर आयुक्त को प्रस्तुत की जो दिनांक 24.11.2005 को निरस्त हुई ।

कं......2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 271–तीन/10 जिला – सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5.4.16	आवेदक के अधिवक्ता एवं आवेदक लगभग 3 पेशियों से अनुपस्थित है । आवेदक के अधिवक्ता के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण में रूचि नहीं होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । सदस्य	